विवरण 27 क

अतिरिक्त जानकारी

भारत सरकार के चुनिंदा वाणिज्यिक रूप से संचालित उपक्रमों के बजटेत्तर संसाधनों का विवरण

भारत सरकार के चुनिंदा वाणिज्यिक रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा जुटाए गए संसाधनों की देनदारियां एफआरबीएम, अधिनियम, 2003 की धारा 2 (कक) (iii) के अनुसार भारत सरकार के ऋण का भाग नहीं हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) द्वारा जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा सूचना के रूप में आगे दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

I. संसदीय संविधि - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित एनएचएआई का अधिदेश उक्त संविधि में विनिर्दिष्ट कार्य करना है। उक्त विधान की धारा 21 में इस प्राधिकरण के ऋण लेने संबंधी अधिकारों की रूपरेखा दी गई है।

II. नीचे तालिका में बीते वर्षों के दौरान एनएचएआई द्वारा लिए गए ऋणों का सार दर्शाया गया है। एनएचएआई के ये ऋण केंद्र सरकार के ऋणों के भाग नहीं हैं (एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक)(iii) के अनुसार)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल संग्रहण के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों को शुरूआत में भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और फिर वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से यह राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लौटा दी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अन्य प्राप्तियों के साथ-साथ इन संसाधनों का उपयोग ऋण चुकाने के लिए करता है।

वित्त वर्ष	बकाया देनदारियां (₹ करोड़)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (₹ करोड़)
2004-05	5593	
2005-06	1289	-4303
2006-07	2789	1499
2007-08	3094	305
2008-09	3434	341
2009-10	3089	-345
2010-11	4944	1855
2011-12	15825	10882
2012-13	17574	1748
2013-14	23356	5782
2014-15	24188	832
2015-16	44567	20379
2016-17	74742	30176
2017-18	121931	47189
2018-19	178867	56936
2019-20	248281	69414
2020-21	306703	58423
2021-22	348522	41819
2022-23	342802	-5720
2023-24	335173	-7628
2024-25*	284521	-50652
2025-26*	272101	-12420

**अनुमानित आंकड़ा*

टिप्पणी: एन्युइटी परियोजनाओं के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की देनदारियां विवरण-4; प्राप्ति बजट के भाग- ख एन्युइटी परियोजनाओं की देनदारी में दर्शायी गई है।

भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी)

I. रेल मंत्रालय (एमओआर) – केंद्र सरकार का वाणिज्यिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रम – रोलिंग स्टॉक इत्यादि की आवश्यकताओं के संबंध में मानक वित्तपोषण लीज़ करारों के माध्यम से आईआरएफसी के साथ सहयोग करता है।

II. रेल मंत्रालय लीज पर ली गई आस्तियों के संबंध में आईआरएफसी को लीज़ प्रभार की अदायगी करता है। ये लेन-देन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में केन्द्र सरकार के ऋण की परिभाषा में नहीं आते हैं और इसलिए इन्हें ऋण नहीं माना जाता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय लीज़ करार के अधीन यह वचन देता है कि परिपक्व होने पर बाण्ड का मोचन (रिडीम) करने या सावधि ऋणों को चुकाने के लिए निधियां वर्ष के दौरान नकदी के अपर्याप्त प्रवाह के कारण कम पड़ने की दशा में रेल मंत्रालय ऐसी कमी की पूर्ति करेगा। ऐसे भुगतानों को रेल मंत्रालय द्वारा आईआरएफसी को किए जाने वाले भावी भुगतानों से समायोजित किया जा सकता है।

III. रेल मंत्रालय के साथ वित्तपोषण लीज़ करार के अधीन आईआरएफसी द्वारा जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा आगे तालिका में दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	बकाया देनदारियां (₹ करोड़)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (₹ करोड़)
2004-05	15687	
2005-06	17752	2065
2006-07	20575	2823
2007-08	22936	2361
2008-09	28512	5575
2009-10	35693	7181
2010-11	43046	7354
2011-12	54817	11770
2012-13	66198	11381
2013-14	76539	10341
2014-15	82236	5697
2015-16	105909	23674
2016-17	131288	25378
2017-18	163988	32701
2018-19	221449	57461
2019-20	295350	73901
2020-21	409014	113664
2021-22	460344	51330
2022-23	478489	18145
2023-24	460252	-18237
2024-25	453982	-6270
2025-26*	442646	-11336

**अनंतिम*

टिप्पणी: बजटेत्तर संसाधन (ईबीआर) शब्दों का प्रयोग व्यय रूपरेखा के रेल विवरणों में विवरण-I (प्राप्तियों और व्यय का सिंहावलोकन) तथा भाग V में रेल प्राप्तियों के संबंध में विवरण-III में दिया हुआ है। वाणिज्यिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रम के रूप में, रेल मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ, आईआरएफसी बांड, संस्थागत वित्त और साझेदारियों के माध्यम से संसाधन जुटाता है। ये विवरण 27 में उल्लिखित केंद्र सरकार के ईबीआर (पूरी तरह से चुकाए जाने वाले बॉण्ड इत्यादि) नहीं हैं और एफआरबीएम, अधिनियम, 2003 की धारा 2 (कक) (iii) में यथापरिभाषित केंद्र सरकार के ऋण का भाग नहीं बनते हैं, क्योंकि उनकी अदायगी या चुकौती वार्षिक वित्तीय विवरण से नहीं की जानी है।